


कार्यालय कलेक्टर जिला सीहोर (म.प्र.)

सीहोर दिनांक: 13/9/2019

—:आदेश:—

क्रमांक/ 117 /भू-अर्जन/2019 :- "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" के तहत मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की परियोजना "भोपाल-इन्दौर 6 लेन, एक्सेस कन्ट्रोल एक्सप्रेस वे एवं पश्चिम दक्षिण भोपाल बायपास ग्रीनफील्ड" निर्माण के लिये जिला सीहोर के अनुविभाग आष्टा स्थित भूमि के अर्जन की कार्यवाही हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी आष्टा के प्रस्ताव के आधार पर अधिनियम की धारा '4' के प्रावधानों के अनुसार संलग्न प्रारूप 'क' में वर्णित उपखण्ड स्तरीय समिति का गठन किया जाता है। गठित समिति शीघ्रतिशीघ्र सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण करने की कार्यवाही करेगी।


कलेक्टर

सीहोर (म.प्र.)


पृ. क्र. / 118 /भू-अर्जन/2019

सीहोर दिनांक : 13/9/2019

प्रतिलिपि:-

1. उपमहाप्रबंधक (बीओटी), मध्यप्रदेश सडक विकास निगम, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. संभागीय प्रबंधक, एमपीआरडीसी भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी आष्टा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. जिला जनसंपर्क अधिकारी सीहोर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. सर्व संबंधित Shri. Sanjay Jaiswal की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

NEC for Collector Sehore website


कलेक्टर

सीहोर (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर, जिला सीहोर (म0प्र0)

पत्र क्रमांक ३१/२३६९/२०१९

सीहोर दिनांक १३/०९/२०१९

प्रारूप-क
(नियम ४ देखए)

राज्य सरकार, प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम/वार्ड स्तर पर यथास्थिति, संबंधित पंचायत/नगर पालिका नगर पालिक निगम के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाधान निर्धारण अध्ययन करना चाही है। अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, २०१३ (क्रमांक ३० सन् २०१३) की धारा ४ के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

१. परियोजना का विकासक का नाम-

मध्यप्रदेश रोड़ डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड,
४५-ए अरेरा हिल्स, भोपाल (म०प्र०), ४६२०११

२. भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन

भोपाल-इंदौर ६ लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे निर्माण कार्य।

३. अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण

(क) गैर सरकारी सामाजिक वैज्ञानिक

१-

श्री हरिनारायण शर्मा निवासी बुधवारा आष्टा
श्री मुकेश राठौर सचिव - कामेश्वरी शिक्षा एवं समाज सेवा समिति आष्टा

२-

(ख) यथास्थिति पंचायत, ग्राम सभा, नगर पालिका के प्रतिनिधि

१-

श्री सोभाल सिंह ठाकुर उपाध्यक्ष जनपद आष्टा
निवासी ग्राम मुगली तह० आष्टा
मुंशीलाल जनपद सदस्य तह० आष्टा
निवासी ग्राम कातला तह० जावर

२-

(ग) पुनर्व्यस्थापन के दो विशेषज्ञ -

१-

श्री अभिषेक शर्मा तहसीलदार आष्टा
श्री रत्नेश श्रीवास्तव तहसीलदार जावर

२-

(घ) तकनीकी विशेषज्ञ (कंसलटेंट) -

१-

श्री कमलेश कुमार पारासर अनुविभागीय अधिकारी
लोक निर्माण विभाग आष्टा

(ड) अध्यक्ष -

१-

श्री बृजेश सक्सेना अनुविभागीय अधिकारी,
(राजस्व) अनुविभाग आष्टा

४. भूमि के विवरण

(क) जिला

सीहोर

(ख) तहसील

आष्टा,

(ग) ग्राम

बड़झिरी, भंवरा, खानदौरापुर, अरनियादाउद, अरनियाराम,
बापचादौनिया, भौरासा, बमुलियाभाटी, भूपोड़, बड़ोदियागाडरी,
लसूड़ियाविजयसिंह, नानकपुर, कन्नौदमिर्जी, मोरूखेड़ी,
सांगाखेड़ी, देवनखेड़ी, बालाखेड़ा, शाहपुरामगरदा, नीलबड़,

बांदरियाडालिया, लाखिया, बरखेड़ीसिद्दीकगंज, नांजीपुरा,
सामरी, कातला, धुराड़ाखुर्द एवं धींगाखेड़ी।

(घ) कुल प्रभावित क्षेत्र

(ड) अर्जित होने वाला क्षेत्र -

5. प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण
6. परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र -
7. क्या ग्राम संभाओं और/या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है।
8. समाजिक सामघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख।



रकबा 299.3087 हेक्टेयर

जिला रायसेन मण्डीदीप के समीप ग्राम इटायाकलॉ से प्रारंभ होकर देवास जिले के ग्राम कर्नावद तक (लंबाई 146.88 कि०मी०)

जिला सीहोर, तहसील आष्टा एवं जावर के क्रमांक 4 (ग) में दर्शाये गये ग्राम।

आवश्यकता नहीं।

दिनांक - 25.09.2019



कलेक्टर
जिला- सीहोर